Note-3: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty-eight years as on closing date of receipt of applications. **Note-4:** The normal eligibility condition of maximum age-limit of fifty-eight years as on the date of closing of receipt of applications shall not be applicable in the case of absorption.		

[F. No.1-5/2015-Admn.I]

SUNIL KUMAR VERMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2024

सा.का.नि. 524(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और दूरसंचार आयोग सदस्य (प्रौद्योगिकी), भर्ती नियम, 2014 के अधिक्रमण में, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय में डिजिटल संचार आयोग में सदस्य (प्रौद्योगिकी) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात्:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, डिजिटल संचार आयोग, सदस्य (प्रौद्योगिकी) समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स का स्तर- उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता आदि-भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता - वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स का स्तर	क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सदस्य (प्रौद्योगिकी)	1* (2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा, अननुसचिवीय राजपत्रित समूह 'क'	वेतन मैट्रिक्स (225000रु.) में स्तर-17	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हता	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हता प्रोन्नति वाले मामले में लागू होगी।	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति से या प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	
(7)	(8)	(9)	(10)	
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	**पद्धति**	**प्रतिशत**
			प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा/आमेलन है ।	100 प्रतिशत

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा।
(11)

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/आमेलन है:

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों या कानूनी निकायों या लोक सेवा उपक्रमों या स्वायत निकायों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के ऐसे अधिकारी :-

क (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया है ; या

(ii) मूल काडर या विभाग में नियुक्ति के पश्चात वेतन मैट्रिक्स (205400-224400/- रु.) में स्तर-16 में एचएजी-प्लस या समतुल्य में एक वर्ष की नियमित सेवा की हो या नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स (205400-224400 /-रु.) में स्तर-16 में एचएजी- प्लस के साथ वेतन मैट्रिक्स(205400-224400 /-रु.) में स्तर-16 में एचएजी-प्लस या समतुल्य और वेतन मैट्रिक्स (182200-224100/- रु.) में स्तर-15 में एचएजी या समतुल्य में दो वर्ष की संयुक्त नियमित सेवा की हो ;

जिसके न हो सकने पर

(iii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (182200-224100/- रु.) में स्तर 15 या समतुल्य में दो वर्ष नियमित सेवा की हो;

जिसके न हो सकने पर

(iv) नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात प्रदान की गई समूह 'क' पद पर न्यूनतम 30 वर्ष की नियमित सेवा, जिसमें से वेतन मैट्रिक्स(182200-224100/- रु.) में स्तर 15 या समतुल्य में कम से कम एक वर्ष की नियमित सेवा की हो; और

(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं रखते हों :

(i) निम्नलिखित में से किसी भी क्षेत्र में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में स्नातक की डिग्री:

(क) इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी

(ख) इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरी

(ग) इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरी या इलेक्ट्रिकल संचार या दूरसंचार या सूचना प्रौद्योगिकी इंजीनियरी

(घ) कंप्यूटर विज्ञान इंजीनियरी

(ड.) इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या संचार या दूरसंचार इंजीनियरी और कंप्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी का कोई संयोजन

टिप्पण : इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स, एएमआईई (इलेक्ट्रिकल) के एसोसिएट सदस्य की अर्हता रखने वाले या इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार संस्थान से स्नातक की अर्हता रखने वाले ऐसे अभ्यर्थी, जो 31 मई, 2013 तक इन संस्थानों में नामांकित थे, वे भी प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/आमेलन हेतु विचार के लिए पात्र होंगे ।

कार्य अनुभव : दूरसंचार, नेटवर्क, दूरसंचार योजना और वायरलैस तथा मोबाइल संचार में न्यूनतम 20 वर्ष का कार्य अनुभव। वांछनीय अर्हताएं : (i) निम्नलिखित में से किसी भी क्षेत्र में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री: (क) इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी (ख) इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरी (ग) इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरी या इलेक्ट्रिकल संचार या दूरसंचार या सूचना प्रौद्योगिकी इंजीनियरी (घ) कंप्यूटर विज्ञान इंजीनियरी (ड.) इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या संचार या दूरसंचार इंजीनियरी और कंप्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी का कोई संयोजन या (ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से प्रबंधन अध्ययन में मास्टर डिग्री, व्यापार प्रशासन (एमबीए या लोक प्रशासन) में मास्टर डिग्री । **टिप्पण 1 :-** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में कार्य करने वाले अधिकारी केवल आमेलन के लिए पात्र होंगे । **टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी हैं) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/ विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य काडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3 :** प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी हैं) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु- सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को अट्ठावन वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 4 :-** आवेदनों की प्राप्ति की समाप्ति की तारीख को अट्ठावन वर्ष की अधिकतम आयु सीमा की सामान्य पात्रता शर्त आमेलन के मामले में लागू नहीं होंगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना ।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है

[फा. सं. 1-5/2015- प्रशा.I]

सुनील कुमार वर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th August, 2024

G.S.R. 524(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Telecom Commission Member (Technology), Recruitment Rules, 2014, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Member (Technology), Digital Communications Commission in the Department of Telecommunications, Ministry of Communications, namely:-

1. **Short title and commencement.**-(1) These rules may be called the Ministry of Communications, Department of Telecommunications, Digital Communications Commission, Member (Technology) Group 'A' Post Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.**-The number of the said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in the columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualification, etc**.–The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**–No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rules.

5. **Power to relax.**-Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**-Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of posts.**	**Classification.**	**Pay level in the pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**	**Age-limit for direct recruits.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
Member (Technology)	1* (2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Non-Ministerial, Gazetted, Group 'A'.	Level-17 in the pay matrix (Rs 225000)	Not applicable.	Not applicable.

Educational and other qualification required for direct recruits.	**Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment, Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**	
(7)	**(8)**	**(9)**	**(10)**	
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	**Method**	**Percentage**
			Deputation including short term contract / absorption.	100 per cent.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commi-ssion to be con-sulted in making recruitment.**
(11)	**(12)**	**(13)**
Deputation (including short term contract)/ absorption: Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or statutory bodies or public sector undertakings or autonomous bodies or recognised	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commi-ssion is necessary.

research institutions: (A) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with one year of regular service in the HAG-plus in Level 16 in the pay matrix (Rs. 205400-224400/-) or equivalent rendered after appointment thereto on regular basis or HAG plus in Level-16 in the pay matrix (Rs. 205400-224400/-) or equivalent having combined regular service of two years in HAG plus in Level-16 in the pay matrix (Rs. 205400-224400/-) or equivalent and HAG in Level-15 in the pay matrix (Rs. 182200-224100/-) or equivalent in the parent cadre or department; failing which (iii) with two years regular service in Level-15 in the pay matrix (Rs. 182200-224100/-) or equivalent in the parent cadre or department; failing which (iv) minimum 30 years of regular service in Group 'A' post, out of which at least one year regular service in Level 15 in the pay matrix (Rs. 182200-224100/-) or equivalent rendered after appointment thereto on regular basis; and (B) possessing the following educational qualifications: (i) Bachelor's degree in Engineering or Technology from a recognised University or institution in any of the following fields: (a) Electrical Engineering (b) Electronics Engineering (c) Electronics and Communications Engineering or Electrical communications or Telecommunications or Information Technology Engineering (d) Computer Science Engineering (e) Any combination of Electrical or Electronics or Communications or Telecommunications Engineering and Computer Science or Information Technology **Note:** The candidates, having qualification of Associates Member of the Institute of Engineers, AMIE (Electrical) or Graduate from Institute of Electronics and Telecommunications, who were enrolled with these institutions upto 31st May, 2013, shall also be eligible for consideration for deputation (including short term contract)/absorption. Working experience: Working experience of minimum twenty years in telecom, networks, telecom planning and wireless and mobile communications. Desirable Qualifications: (i) Master's degree in Engineering or Technology from a recognised University or institution in any of the following fields: (a) Electrical Engineering (b) Electronics Engineering (c) Electronics and Communications Engineering or Electrical communications or Telecommunications or Information Technology Engineering (d) Computer Science Engineering (e) Any combination of Electrical or Electronics or		

Communications or Telecommunications Engineering and Computer Science or Information Technology or (ii) Master's degree in Management Studies, Master's degree in Business Administration (MBA or Public Administration) from a recognised institution or University. **Note-1:** Officers working in the Central Government or State Government or Union territory Administration shall only be eligible for absorption. **Note-2:** Period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed five years. **Note-3:** The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty-eight years as on closing date of receipt of applications. **Note-4:** The normal eligibility condition of maximum age-limit of fifty-eight years as on the date of closing of receipt of applications shall not be applicable in the case of absorption.		

[F. No.1-5/2015-Admn.I]

SUNIL KUMAR VERMA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.